लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स मॉ शारदा मिनरल्स, मंदिर हसौद लाईम स्टोन क्वारी (श्री आशीष तिवारी), ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर द्वारा खसरा नं.–699, कुल लीज क्षेत्र–4.048 हेक्टेयर में चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) क्षमता–2,96,670 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 10.08.2020 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

मेसर्स मॉ शारदा मिनरल्स, मंदिर हसौद लाईम स्टोन क्वारी (श्री आशीष तिवारी), ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर द्वारा खसरा नं.–699, कुल लीज क्षेत्र–4.048 हेक्टेयर में चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) क्षमता–2,96,670 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लोक सुनवाई कराने बाबत् छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया था। पत्रिका तथा द पायोनियर में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करवाई जाकर दिनांक 10.08.2020, दिन–सोमवार, समय प्रातः 12:00 बजे से परियोजना स्थल तहसील–आरंग, जिला–रायपुर में लोकसुनवाई नियत की गई थी। जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत मंदिर हसौद को भी प्रेषित की गई व तामिली ली गई।

प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् लोक सुनवाई दिनांक 10 अगस्त 2020 को श्री एन आर साहू, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर, जिला रायपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान डॉ. एस.के.उपाध्याय, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर तथा गणमान्य जनप्रतिनिधी के रुप में माननीय विधानसभा सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा, तथा अन्य व लगभग 50 जन सामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई प्रातः 12:00 बजे आरंभ हुई।
2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये हैं, उनकी सूची संलग्नक–01 अनुसार है, (पृष्ठ क्रमांक 1 से 2 तक)।
3. डॉ. एस.के.उपाध्याय, क्षेत्रीय अधिकारी ने प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर महोदय से लोक सुनवाई आरंभ करने का निवेदन किया।
4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की गयी तथा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित परियोजना के संबंध में जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया।
5. श्री जगमोहन कुमार चंद्रा परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में जानकारी दी गई :–

श्री जगमोहन कुमार चंद्रा परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार ने बताया कि मेसर्स मॉ शारदा मिनरल्स, मंदिर हसौद लाईम स्टोन क्वारी (श्री आशीष तिवारी), ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर द्वारा खसरा नं.–699, कुल लीज क्षेत्र–4.048 हेक्टेयर में चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) क्षमता–2,96,670 टन/वर्ष के संबंध मे परियोजना के परिचय अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार, कम क्षेत्रफल के बावजूद लघु खनिजों की सभी परियोजनाओं को संबंधित प्राधिकरण से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। तथा प्रस्तावित परियोजना लाइमस्टोन खदान जिसका क्षेत्रफल 4.048 हेक्टेयर है, इस परियोजना के लिये परियोजना प्रस्तावक मॉ शारदा मिनरल्स है। तथा जानकारी दी गयी कि यह परियोजना ओपन कास्ट अर्ध यांत्रिकी पद्धति के द्वारा की जायेगी जिसमें, अधिकतम उत्पादन क्षमता 2,96,670 टन/वर्ष है और परियोजना की अनुमानित लागत 95.25 लाख रूपये है। तथा बताया गया कि खान और खनिज विकास अधिनियम एवं नियमन के अनुसार खनन क्षेत्र एलओआई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ दिनांक 21.01.2019 द्वारा जारी की गयी। इसके साथ टी ओ आर राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन समिति (SEAC) द्वारा अपनी बैठक के दौरान पत्र संख्या 1140/ माईन / रायपुर /941 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 27.11.2019 द्वारा जारी किया गया, के संबंध में जानकारी दी गयी। परियोजना की बुनियादी जानकारी अंतर्गत परियोजना का नाम– मंदिर हसौद लाइमस्टोन क्वारी, खदान का पता गॉव मंदिर हसौद, तहसील आरंग, जिला रायपुर, राज्य छत्तीसगढ़, खनन पट्टा क्षेत्र– 4.048 हेक्टेयर, ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुसार अनुसूची में क्रम संख्या और परियोजना की श्रेणी– परियोजना श्रेणी बी 1 के तहत् क्योकि क्लस्टर निर्मित हो रहा है परियोजना गतिविधि प्रकार ''1 (ए) आती है, खसरा नंबर 699, अनुमानित परियोजना लागत 95.25 लाख, कर्मचारी और कार्य दिवसों की संख्या कर्मचारी 21 व्यक्ति, कार्य दिवस 240 दिन/वर्ष, पानी की आवश्यकता 9.0 के.एल.डी., जियोलॉजिकल रिज़र्व 23,04,637.5 टन, टोटल मिनाब्ले रिज़र्व 14,44,650.00 टन, उत्पादन का लक्ष्य 2,96,670 टन/वर्ष, आईएमडी रायपुर में जलवायु परिस्थितियों तापमान अधिकतम 31^0 C, न्यूनतम 9^0 C, वायु की तेजी अनुमान 1.8 किलोमीटर/घंटा, प्रमुख वायु कि दिशा वायु दक्षिण पश्चिम की ओर से बह रही है, निकटतम सिटी रायपुर 12.80 किलोमीटर, निकटतम हवाई अड्डा स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा 3.88 कि.मी., निकटतम रेल्वे स्टेशन मंदिर हसौद रेल्वे स्टेशन 2 कि.मी. पर है, निकटतम जल निकायों दरबा तालाब 5.32 कि.मी.,पलौद तालाब 6.33 कि.मी. पर होना, बताया गया तथा ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में अध्ययन के क्षेत्र के भीतर कोई नही है की जानकारी दी गयी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 (टाइगर रिजर्व, ऐलीफेंट रिजर्व, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संप्रभुता और समुदाय आरक्षित) के अनुसार संरक्षित क्षेत्र अध्ययन के क्षेत्र के भीतर कोई नही है की जानकारी दी गयी। तथा बताया गया कि कोई बड़ा उद्योग 1 कि.मी. के भीतर नहीं है। भूकंपीय जोन II as per IS- 1893 (Part-1)-2002। की जानकारी दी गयी। निकटतम औषधालय और अस्पताल

मंदिर हसौद 1.5 कि.मी. और वी. वॉय अस्पताल 8.45 कि.मी. की दूरी पर है बताया गया। उत्पाद के अंत में उपयोग अंतर्गत जो भी उत्पादन होगा उसे बाजार में बेचा जायेगा जो कि आगे घर बनाने, सड़क, पुल निर्माण आदि कार्य के उपयोग में लाया जा सकता है, की जानकारी दी गयी। भौगोलिक स्थिति, अध्ययन क्षेत्र के (10 कि.मी.) का बफर मानचित्र प्रदर्शित किया गया। खनन प्रक्रिया, जनशक्ति की आवश्यकता, दैनिक जल आवश्यकता वितरण, खनन पट्टा क्षेत्र में भूमि उपयोग एवं संरचना के संबंध में जानकारी दी गयी। लैड यूज डिटेल का मानचित्र प्रदर्शित किया गया मानिटरिंग के परिणाम अंतर्गत वातावरणीय वायु, शोर का स्तर की जानकारी दी गयी तथा न्वाईस मॉनिटरिंग अध्ययन क्षेत्र का नक्शा प्रदर्शित किया गया। 6 स्वाईल के नमूने के परिणाम के संबंध में जानकारी दी गयी तथा स्वाईल सेम्पलिंग अध्ययन क्षेत्र का नक्शा प्रदर्शित किया गया। 6 स्थान के भू–जल तथा 2 स्थान के सतही जल के परिणामों के संबंध में जानकारी दी गयी तथा ग्राउण्ड वॉटर एवं सरफेस वॉटर सेम्पलिंग अध्ययन क्षेत्र का नक्शा प्रदर्शित किया गया। समाजिक संरचना, अन्वेषित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण के उपाय अंतर्गत परिवेशीय वायु गुणवत्ता पर प्रभाव एवं न्यूनीकरण के उपाय के संबंध में जानकारी दी गयी। ध्वनि पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, जल पर्यावरण एवं उनके न्यूनीकरण के उपाय के संबंध में बताया गया। व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा, परियोजना लाभ, सामाजिक लाभ एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना अंतर्गत वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण के लिए बजट जिसके अंतर्गत कुल पूँजी लागत 4,80,000 एवं आवर्ती लागत/वर्ष रुपये 2,55,000 बतायी गयी। कार्पोरेट पर्यावरण संरक्षण (सी.ई.आर.) के संबंध में कुल पूँजी लागत रुपये 1,60,000 एवं आवर्ती लागत रुपये 26,000 की जानकारी दी गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा उपस्थित जन सामान्य से प्रस्तावित परियोजना के संबंध में अपना अभिमत/दावा आपत्ति मौखिक तथा लिखित ज्ञापन प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। तत्पश्चात् उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1 श्री सत्यनारायण शर्मा (माननीय सदस्य छ.ग. विधानसभा) ने कहा – मै रामचन्द्र स्वामी नागरी दास मंदिर के ट्रस्ट की ओर से कहना चाहूँगा कि खदान प्रबंधन द्वारा पर्यावरण के सभी नियमों का पालन किया जावेगा। खदान से बडी वॉटर बॉडी निर्मित होगी जिसमे जल संग्रहण होने से रायपुर में जल की कमी को दूर करने में सहायक होगी। खनन के पश्चात निर्मित होने वाली वॉटर बॉडी के जल का नहरों के माध्यम से खेतों में सिंचाई हेतु भी उपयोग किया जा सकेगा। आस–पास के क्षेत्रों के जल स्त्रोत में भी वृद्धि होगी। इस क्षेत्र में पूर्व से भी खदान संचालित है। उक्त खदान को पर्यावरणीय स्वीकृति दी जावे।

2 श्री विजय पटेल (मंदिर हसौद) ने कहा – मैं 25 वर्ष पहले यहां आया तब यहां कच्चा मकान व कच्ची सड़के थी। आज अधिकतर पक्के मकान पक्के है व पक्की सडके है। मॉइनिंग कार्य से विकास, रोजगार मिलेगा तथा पानी का उपयोग भी किया जा सकेगा।

3 श्री मोहन यादव, (पूर्व सरपंच, मंदिर हसौद) ने कहा – यदि खदान का पानी नहर में डाला जायेगा तो पानी हमारे गॉव को नहीं मिलेगा इसलिए खदान का पानी गॉव के तालाबों में ही स्थानांतरित किया जावे। खदान की खुदाई के बाद गड्ढों की पटाई के लिए मोनेट इस्पात के मलबा का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बाद मैं किसानों या गॉव के लिए हानिकारक होगा, अतः गड्ढों की पटाई मिट्टी से करवाई जावे।

4 श्री सत्यनारायण शर्मा (माननीय सदस्य छ.ग. विधानसभा) ने कहा कि – खनन के पश्चात निर्मित होने वाली वॉटर बॉडी के जल को नहरों के माध्यम से गांव के तालाबों में भी डाला जायेगा।

5 श्री सुतेन्द्र सिंह (मंदिर हसौद) ने कहा – यहां 50–60 साल से खदान संचालित है। खदान से राजस्व प्राप्ति होती है लेकिन मोनेट इस्पात द्वारा कचरे से खदान की पटाई की जाती है, जो सही नही है, इससे भविष्य में भू–जल का नुकसान होगा। खदान की पटाई मिटटी से हो।

6 श्री नीरू दास मानिकपुरी (मंदिर हसौद) ने कहा – मै दो बात इंगित करना चाहता हूॅ। हम लोग नागरी दास मंदिर में आये थे कोई बात नही अब यहा आ गये है। सभी खदानों में हैवी ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे ग्रामवासियों का नुकसान होता है। घर के बर्तन गिर जाते है। खदान मालिक को रॉयल्टी मिलती है। मानवता के नाते गांव में योगदान देवें।

7 श्री गोवर्धन सिन्हा ने कहा– मॉइनिंग से सबको काम मिलता है। चंदा की बजाय सार्वजनिक काम के लिये मटेरियल दिया जावे।

8 श्री ओम प्रकाश यादव ने कहा – यहां 40 से 50 खदान संचालित है। खदान के आस–पास ट्रांसपार्टिंग के कारण धूल के कणों का उत्सर्जन बहुत होता है। सामाजिक कार्य नही किया जाता है। खदान के आस–पास धूल डस्ट को कम करने के लिए पानी का छिड़काव अच्छे से किया जावे। गर्मी के दिनों में गॉवों में पीने के लिए पानी के टैंकरों की व्यवस्था की जावें।

लोक सुनवाई के दौरान प्रस्तावित परियोजना के प्रतिनिधि– श्री जगमोहन कुमार चंद्रा परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार द्वारा आमजनों के माध्यम से प्राप्त सुझाव/आपत्ति के संबंध में निम्नानुसार बिन्दुवार उत्तर/जवाब दिया गयाः–

1. स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

2. वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिये टैंकर के माध्यम से जल छिडकाव किया जायेगा

3. व्यवसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य शिविर लगाए जाये।

4. आसपास के स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिये अलग–अलग टॉयलेट बनाने का कार्य करने का आश्वासन दिया गया है।

अंत में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा जनसामान्य को सुझाव एवं आपत्ति होने पर मौखिक एवं लिखित सूचना देने हेतु पुनः कहा गया। यह लोक सुनवाई प्रातः 12:00 बजे आरम्भ होकर दोपहर 12:35 बजे समाप्त हुई। लोकसुनवाई के पूर्व, लोकसुनवाई के दौरान कोई अभ्यावेदन प्राप्त नही हुये तथा लोकसुनवाई के पश्चात् 02 अभ्यावेदन (पृष्ठ क्रमांक 01 से 17 तक) प्राप्त हुये। सम्पूर्ण लोक सुनवाई की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी की गयी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर

जिला रायपुर (छ.ग.)